सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2019/98

ASSISTANT COLLECTOR II JAIPUR CITY JAIPUR

1. श्रवण पुत्र धन्ना
2. छोटू पुत्र धन्ना (मृतक)

   2/1 श्रीमति प्रेम देवी पत्नि स्व0 श्री छोटू

   2/2 रोनक पुत्र स्व0 श्री छोटू उम्र 8 वर्ष नाबालिक बविलायत संरक्षिका माता स्वयं प्रेम देवी पत्नि स्व0 श्री छोटू
3. धर्मसिंह पुत्र धन्ना

   समस्त जाति गुर्जर निवासी नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीया

बनाम

1. धन्ना पुत्र भूरा जाति गुर्जर (दौराने वाद मृतक)

   1/1 कल्ली धर्मपत्नी धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

   1/5 श्रीमति मांगी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना पत्नी श्री हाथी

   1/6 श्रीमती लाली देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना पत्नी श्रवण

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोरसिणा, तहसील सांभर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार जी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक अधिकारी द्वितीय तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. श्रीमती विद्या देवी पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. श्रीमती धन्नी देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति जाट निवासी रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
वादी : श्री मनीष पारिक
प्रतिवादी : श्री भगवान सहाय शर्मा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

ASSISTANT COLLECTOR II JAIPUR CITY

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–06.06.2025

वादीगण की ओर से वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसमें संशोधित वादपत्र का वृतान्त विवरण निम्न प्रकार से है :– वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, एक ही परिवार के सदस्य है व ग्राम नेवटा में कृषि काश्त करके अपना जीवनयापन करते है। जिनका शजरा खानदान निम्न है :–

भूरा (मृतक)
- धन्ना
  - श्रवण
  - छोटू
  - धर्मसिंह
  - काली देवी
- गोपाल
- बद्री
- मु0हरली

यह कि साबिक खसरा नंबर 107, 108, 109, 110, 197, 198, 199, 200, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 कुल किता 27 कुल रकबा 32 बीघा वाके ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित थी जी भूरा पुत्र हरनाथ अर्थात् प्रतिवादी संख्या के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। भूरा की मृत्यु पर फौती नामान्तकरण संख्या 291 भूरा के वारिसान धन्ना, गोपाल, बद्री पि. भूरा व हरली बेवा भूरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वादीगण धन्ना के वारिसान हैं। ऊपर वर्णित साबिक खसरा नंबर के नये नम्बरान खाता संख्या 167 के खसरा नंबर 103, 104 कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 व खाता संख्या नया 170 के खसरा नम्बरान 209 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 210 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 212 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 213 रकवा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नंबर 216 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 217 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1064 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1065 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1067 रकबा 0.84 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व खाता संख्या नया 171 के खसरा नंबर 208 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 215 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1068 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1069 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1074 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 173 के खसरा नंबर 1066 रकबा 0.19 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, इस प्रकार सम्पूर्ण आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है उक्त वर्णित आराजी पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भूरा के नाम से थी जिसकी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

फौती नामान्तकरण वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाईयों व उसकी माता के नाम स्वीकार हुआ इस प्रकार उपरोक्त आराजी में वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/4 में 1/4 अर्थात् प्रत्येक का हिस्सा 1/16 है तथा वादीगण उक्त आराजी के अपने हिस्से पर कृषि काश्त करते है उक्त कृषि भूमि के अलावा वादीगण के पास रोजी रोटी का और कोई जरिया नहीं है। दिनांक 08–06–2005 को प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिगर व्यक्तियों को लेकर वादीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि पर आया तो वादी संख्या 1 ने अपनी माता कालीदेवी को बुलाकर बताया तब काली देवी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि आप उक्त भूमि को विक्रय न करें यह अपनी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है इसको बेच देगे तो अपने बच्चे भूखे मर जावेगें इस पर प्रतिवादी संख्या 1 आग बबूला हो गया और गाली गलौच कर मारपीट पर उतारू हो गया इतने में गांव के कुछ लोग आ गये। उनके समझाने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात को बेचने की धमकी देते हुए उन दिगर व्यक्तियों को लेकर चला गया। वादीगण एक गरीब व्यक्ति है और पूर्णतया कृषि काश्त पर आधारित है अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाजायज इरादों में सफल हो गया तो वादीगण को दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर होना पड़ेगा तथा उनके भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक आराजी कृषि भूमि जिसका सम्पूर्ण विवरण वाद पत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित है का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30–09–2005 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कर दिया है। उक्त विक्रय पत्र बमुकाबले प्रभावहीन व बेअसर है तथा कानूनन भी नाबालिक व्यक्ति की सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकता है। वादी संख्या 2 व 3 नाबालिक है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण दिनांक 04–09–2006 को अपने नाम खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात अपने नाम करवा लिया है जो अवैध है। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित आराजी के विक्रय पत्र दिनांक 30–09–2005 वादीगण के हकों तक शून्य व बातिल घोषित कर उक्त विक्रय पत्र को आधार पर किये गये राजस्व इन्द्राजात को रद्द करते हुए वादीगण का अपना प्रत्येक का हिस्सा 1/4 में 1/4 अर्थात् 1/16 हिस्सा प्रत्येक का घोषित किया जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे व वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वह उक्त आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड यथावत बनाये रखे व प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वह उक्त आराजी का किसी प्रकार का विक्रय पत्र आदि दिगर व्यक्ति के नाम तस्दीक न करें। वाद कारण दिनांक 08–06–2005 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित आराजीयात पर दिगर व्यक्तियों को लाकर बेचने की धमकी दी तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक आराजी कृषि भूमि जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित है का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कर दिया है उक्त विक्रय पत्र बमुकाबले प्रभावहीन व बेअसर है तथा कानूनन भी नाबालिक व्यक्ति की सम्पति का विक्रय नही किया जा सकता है। वादी संख्या 2 व 3 नाबालिक

ASSISTANT COLLECTOR II JAIPUR CITY

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण दिनांक 04.09.2006 को अपने नाम खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात अपने नाम करवा लिया है जो अवैध है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि (क) यह कि आराजी खसरा नंबर 103, 104 कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर खसरा नम्बर 209, 210, 212, 213, 216, 217, 1064, 1065, 1067 कुल किता 9 कुल रकबा 2.69 हैक्टेयर व खसरा नंबर 208, 215, 1068, 1069, 1074 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1066 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाकै ग्राम नेवटा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को किये गये विक्रय पत्र दिनांक 30-09-2005 को बमुकाबले वादीगण प्रभावहीन व बेअसर घोषित करते हुए व उसके आधार पर बनाये गये राजस्व इन्द्राजात को रद्द घोषित करते हुए वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/4 में 1/4 अर्थात् हिस्सा 1/16 प्रत्येक व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/16 का उनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावें। (ख) यह कि प्रतिवादी संख्या 1,4,5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि यह ऊपर वर्णित पैरा (क) में की आराजी को विक्रय आदि न करें व वादीगण की कब्जे काश्त में बाधा कारित न करें, न करावे व प्रतिवादी संख्या 2 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड यथावत बनाये रखे व प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त आराजी का विक्रय पत्र आदि तस्दीक न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब दावा प्रस्तुत किया।

ASSISTANT COLLECTOR II

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित है कि : यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 है परन्तु वादीगण को उक्त आराजी में हिस्सा मिन प्रतिवादी की मृत्यु के बाद में प्राप्त हो सकता है। उक्त आराजीयात पैतृक आराजीयात है। यह कहना गलत है कि मिन प्रतिवादी संख्या 1 ने गाली गलौच और मारपीट की हो। मिन प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात का विक्रय आदि नही करना चाहता है तथा मिन प्रतिवादी कभी भी उक्त आराजी को मौके पर दिखाने के लिए दीगर व्यक्तियो को लेकर नही आया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा मांगे गये अनुतोष के अनुसार माननीय न्यायालय वादीगण को उक्त आराजी में अपना हिस्सा घोषित कर दे देते तो मिन प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।

विचाराधीन वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी सख्या 4 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से का क्रय मिन प्रतिवादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर लिया है इसलिए मिन प्रतिवादी को पक्षकार मुकदमा बनाया जावें। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थी को पक्षकार संख्या 4 व 5 के रूप में वादपत्र में संयोजित किया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि – ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 107 लगायत 110, 197 लगायत 200, 210, 212 लगायत 230 कुल किता 27 कुल रकबा 32 बीघा के खातेदार काश्तकार भूरा पुत्र हरनाथ कब से थे व उनका स्वर्गवास किस वर्ष में हुआ, नामान्तकरण संख्या 291 किस दिन व दिनांक को भूरा के वारिसान के नाम दर्ज हुआ आदि तथ्य अस्पष्ट होने के कारण अस्वीकार है। खाता संख्या 167, 170, 171, 173 में प्रतिवादी संख्या 1 धन्ना पुत्र भूरा का हिस्सा 1/4 होने से तथ्य से इन्कार नही है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वर्णित कृषि भूमि में से ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 208 रकबा 0.05 हैक्टर, 215 रकबा 0.06 हैक्टर, 1068 रकबा 0.14 हैक्टर, 1069 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1074 रकबा 0.75 हैक्टर, 1066 रकबा 0.19 हैक्टर, 103 रकबा 0.10 हैक्टर, 104 रकबा 0.41 हैक्टर, 209 रकबा 0.31 हैक्टर, 210 रकबा 0.14 हैक्टर, 212 रकबा 0.33 हैक्टर, 213 रकबा 0.16 हैक्टर, 216 रकबा 0.10 हैक्टर, 217 रकबा 0.29 हैक्टर, 1064 रकबा 0.35 हैक्टर, 1065 रकबा 0.17 हैक्टर, 1067 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 17 कुल रकबा 4.43 हैक्टेयर के हिस्से 1/4 रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार धन्ना पुत्र भूरा ने सम्पूर्ण हिस्से को उत्तरदातागण के हक में दिनांक 27 जनवरी 2005 को ही विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 14 में पृष्ठ संख्या 44 क्रम संख्या 2005002644 पर पंजीबद्व (प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती विध्या देवी पत्नी श्री सत्यनारायण व प्रतिवादीया संख्या 5 श्रीमती धन्नी देवी पत्नी प्रभूदयाल के हक में उचित प्रतिफल प्राप्त कर) किया गया है। इस प्रकार उत्तरदातागण भूमि क्रय करने के दिन से कयशुदा भूमि के बोनाफाईड परचेजर इन टाईटल है, अब प्रतिवादी संख्या 1 या उनके वारिसान वादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने यह दावा भूमि में सम्पूर्ण हिस्से को बेचान करने के पश्चात कोल्यूजन कर उत्तरदातागण के हितों के प्रतिकूल माननीय न्यायलय के समक्ष दिनांक 13.06.2005 को पेश किया है। वादीगण (कर्ताखानदान) पिता द्वारा किये गये विक्रय से बाधित है। वादग्रस्त भूमि का विक्रय वादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के पूर्व ही दिनांक 27 जनवरी 2005 को निष्पादित हो चुका था, पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नही है। वाद पत्र वादीगण सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादपत्र के पैरा नंबर 6 के आगे 6 क निम्न रूप से जोडा जाना आवश्यक है कि " प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक आराजी कृषि भूमि जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र के पैरा नंबर 3 में वर्णित है का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कर दिया है उक्त विक्रय पत्र बमुकाबले प्रभावहीन व बेअसर है तथा कानूनन भी नाबालिक व्यक्ति की सम्पति का विक्रय नही किया जा सकता है। वादी संख्या 2 व 3 नाबालिक है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण दिनांक

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

04.09.2006 को अपने नाम खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात अपने नाम करवा लिया है जो अवैध है। इसी प्रकार पैरा संख्या 7 में यह जोडा जावें कि " विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 वादीगण के हकों तक शून्य व बातिल घोषित कर उक्त विक्रय–पत्र को आधार पर किये गये राजस्व इन्द्राजात को रद्व करते हुये वादीगण का" जोडा जावें। इसी प्रकार अनुतोष में " प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को किये गये विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 को बमुकाबले वादीगण प्रभावहीन व बेअसर घोषित करते हुऐ व उसके आधार पर बनाये गये राजस्व इन्द्राजात को रद्व घोषित करते हुये" व पैरा ख में प्रतिवादी संख्या एक के स्थान पर एक, चार व पांच अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्कय है।

प्रार्थना पत्र के जवाब उपरांत उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण को संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। वादीगण द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा संशोधित वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात वादी में तनकीयात कायम की गई व पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई।

वादी की ओर से निम्न साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये :–

क्र.सं.	साक्षी का नाम	पिता का नाम	पता
1	कल्याण	रोडू	ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जयपुर
2.	श्रवण	धन्ना	ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जयपुर
3	लादू	भैंरू	ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जयपुर
4	मन्नालाल	नरसिंहराम	ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जयपुर

वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहो में श्रवण, मन्ना, व लादू से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादी की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

क्र.सं.	साक्षी का नाम	पिता/प्रति का नाम	पता
1	विध्या देवी	सत्यनारायण	ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर जयपुर।
2	श्याम सुन्दर	जयनारायण	ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जयपुर।

उपरोक्त गवाहान से जिरह अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 फौत होने का0मु0 की कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस वादपत्र पर सुनी गई।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जो निम्न है (1) नकल जमाबंदी ग्राम नेवटा सम्वत् 2058 से 61 (2) नकल मिलान क्षेत्रफल (3) नकल जमाबंदी संवत् 2037 से 2040।

प्रतिवादीगण द्वारा निम्न दस्तावेज पेश किये गये : (1) प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र धन्ना पुत्र श्री भूरा बहक विध्या देवी, धन्नी देवी (2) प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2058 से 2061

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात, जवाब वाद व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम् उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण का अनुतोष की वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के दादा स्व0 भूरा की आराजीयात है भूरा की मृत्यृ के पश्चात भूरा के वारिसान धन्ना, गोपाल, बद्री पि0 भूरा व हरली बेवा भूरा के नाम फौती नामान्तकरण संख्या 291 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अर्थात कुल किता 27 कुल रकबा 32 बीघा में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। साबिक खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर वादपत्र की मद संख्या 3 में अंकित है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा दर हिस्सा 1/16–1/16 बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह जानते हुए भी कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा भी निहित है स्वयं के हिस्से के साथ–साथ वादीगण का हिस्सा अर्थात प्रतिवादी संख्या के नाम अंकित 1/4 संपूर्ण भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2005 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कर दिया। उक्त विक्रय पत्र भी वादीगण के अधिकारो तक शून्य व बातिल घोषित किया जावें। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत 2058 से 261 जिसमें धन्ना पुत्र भूरा व हरली बेवा भूरा का अंकन वादग्रस्त आराजी में है। एवम नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है। एवम् जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 की प्रस्तुत की है जिसमें भूरा पुत्र हरनाथ का अंकन है जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयता वादीगण की पैतृक आराजीयात है। वादीगण अपने वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य से यह तो साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजीयात है किन्तु कब्जे के संबंध में कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया है जबकि घोषणा के वाद में कब्जे का होना अत्यंत आवश्यक है वादग्रस्त आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी संवत् 2074–2077 की देखने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजीयात का वर्तमान रिकॉर्डेड काश्तकर जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए अंकित है। अर्थात वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि से परिवर्तित होकर आवासीय भूमि में परिवर्तित हो चुकी है एवम् वादग्रस्त आराजीयात में हाल खसरा नंबर 104, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1074 किस्म नहरी अंकित है अर्थात उक्त भूमि कृषि भूमि अंकित नही है वादीगण ने अपने वाद में इस तथ्य का कही भी उल्लेख नही किया है कि किस्म परिवर्तित हो चुकी है और खातेदारी भी कृषि से गैर कृषि में परिवर्तित हो चुकी है वादग्रस्त भूमि ना तो वर्तमान में कृषि भूमि है ना ही वादीगण का कब्जा काश्त है ना ही प्रतिवादीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनसे वादीगण को भूमि दिलवाई जावें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अपोषणीय होने व कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

ASSISTANT COLLECTOR II JAIPUR CITY

Scanned with OKEN Scanner

श्रवण बनाम धन्ना व अन्य
2019/98
निर्णय दिनांक : 06.06.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम जयपुर में

इजलास **गौरव बांकावत** (आर.ए.एस.)

श्रवण **बनाम** धन्ना वगै.

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/98

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद अपोषणीय होने व कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.06.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय